

98/2008 विश्वश्रीलाल आदि - राणापत आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र
13.7.14	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....10.11.2014 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक.....10.11.14 को पेश हो।
10.10.14	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज की जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली को पेश किया जाये। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 12.12.14 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि किसी <u>किसी</u> को पेश है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।
12.12.14	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा आजानुसार दिनांक 28.3.15 को पेश हो
28.3.15	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा आजानुसार दिनांक 11.5.15 को पेश हो
21.8.15	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....11.11.15 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 2.12.15 को पेश हो।
27.8.15	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....11.11.15 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 6.12.15 को पेश हो।
6.7.15	पत्रावली पेश वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेरल शुमार होकर नम्बर को <u>को</u> कम होकर बाद तुरतीव तकमील दाखिल टफतर हो।

Handwritten signature and date: 21/11/14

सुप्रबन्ध अधिकारी एवं पब्लिक सचिव अपील अधिकारी
सीकर